सार्वजनिक सूचना

भूमि नीति के नाम पर बनीं

फर्जी सोसाइटी/कम्पनी/डेवलपर के शिकार न बनें

सावधान रहें !!!

कछ सोसाइटी / कम्पनी / डेवलपर (प्रमोटर) डीडीए की भूमि नीति के नाम पर आकर्षक आवास योजनाओं के बारे में भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं और भखंड / फ्लैटों की बिकंग के लिए पंजीकरण राशि वसूल रहे हैं।







अभी तक डीडीए ने भूमि नीति के तहत किसी आवासीय परियोजना को किसी तरह का कोई अनुमोदन / लाइसेंस जारी नहीं किया है।



रियल एस्टेट रेगुलेटरी एथॉरिटी अधिनियम - 2016 के तहत परियोजना के अनुमोदन / लॉइसेंस के बिना किसी भी परियोजना में भखंड / पलैट के लिए प्रकाशित किए गए विज्ञापन गैर काननी है।



निवेश करने से पहले रेरा (RERA) की आधिकारिक वेबसाइट पर अनुमोदित परियोजनाओं की स्थिति जांच लें।



निवेश करने से पहले डीडीए द्वारा प्रमोटर को जारी किया हुआ लेआउट प्लान का अनुमोदन, अनंतिम और अंतिम विकास लाइसेंस का विवरण जांच लें. यदि कोई हो।



ऐसे प्रस्तावों का शिकार होने पर व्यक्ति प्रमोटर के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा, पुलिस स्टेशन कॉम्प्लेक्स, मंदिर मार्ग, आर्थक अपरोध शाखा, पुलिस स्टेशन काम्प्लक्स, मादर माग, नई दिल्ली में शिकायत दर्ज करा सकता है। (आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस को ई मेल लिखें dcp-eow-dl@nic.in)



दिल्ली विकास प्राधिकरण

दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in पर जाएं और ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाओं में प्रासंगिक ऑनलाइन पर क्लिक करें या टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें कृपया 🕨 🏻 कि DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें 👔 @ddaofficial 👩 @official_dda

Please refer to https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/ Default.aspx for further details.

Public Notice

DON'T FALL VICTIM TO

FRAUDULENT SOCIETIES/ COMPANIES/ DEVELOPERS IN THE NAME OF LAND POOLING POLICY

CAUTION !!!

Some Societies/ Companies/ Developers (Promoters) are floating misleading advertisements about attractive housing schemes using the name of DDA's Land Policy and charging registration money for booking of plots/ flats.







As on date, DDA has not issued any approval/ license to any housing project under Land Policy.



It is illegal to advertise any plots/ flats in any project without registration/ approval of the project under Real Estate Regulatory Authority Act-2016.



Before investing, check the status of any approved projects on official website of RERA.



Before investing, check details of layout plan approvals. Provisional & Final Development Licenses issued to promoter, if any, by DDA.



Any person aggrieved by such offers may contact/file complaint against promoter with Economic Offences Wing, Police Station Complex, Mandir Marg, New Delhi. (E-mail to EOW, Delhi Police at: dcp-eow-dl@nic.in)



DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Visit DDA's website - www.dda.org.in and Click on relevant Icon in Online Public Service or Dial Toll Free No. 1800-110332

Please give your feedback on DDA Apps at 🖟 😋 📢 @ddaofficial 💍 @official dda

Please refer to https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/ Default.aspx for further details.